


संख्या: 41 / 2016 / 363 / आठ-1-15-17विविध/03टीसी

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,


02/02/16

- | | |
|---|---|
| 1 आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4 नियत अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2016

विषय: भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली संबंधी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग विधा को अपनाए जाने के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कृपया निम्नलिखित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

1. शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23विविध/99, दिनांक 20.05.1999
2. शासनादेश संख्या-1703ए/9-आ-1-29विविध/98, दिनांक 12.04.2001
3. शासनादेश संख्या-3631/9-आ-1-17विविध/2003, दिनांक 19.06.2003
4. शासनादेश संख्या-यू०ओ०-35/आठ-1-2005, दिनांक 25.04.2006
5. शासनादेश संख्या-3982/आठ-1-08-17विविध/03टी.सी.-1, दिनांक 01.07.2008
6. शासनादेश संख्या-1595/आठ-1-09-17विविध/03टी.सी., दिनांक 19.06.2009
7. शासनादेश संख्या-3348/आठ-1-10-17विविध/03टी.सी., दिनांक 05.08.2010

2- उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लागू किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधान किये गये हैं, जिसके अनुसार मानचित्र स्वीकृति तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करते समय रूफ-टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-जल रिचार्जिंग हेतु विद्यमान तालाबों/जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का प्राविधान अनिवार्य किया गया है। परन्तु भू-जल स्रोतों के अनवरत एवं अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में भू-जल स्तर निरन्तर गिर रहा है एवं सतही जल स्रोत, विशेष रूप से तालाब, पोखर,

जलाशय, नदी, नाले, आदि धीरे-धीरे सूख रहे हैं। इस प्रकार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और समय रहते यदि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी, तो निकट भविष्य में जन-सामान्य को जल संकट का विकट सामना करना पड़ सकता है।

3- रेनवाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में यद्यपि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अभिकरणों हेतु शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इनकी प्रगति का अनुश्रवण शासन द्वारा निरन्तर किया जाता है, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो एक चिन्ता का विषय है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग तथा पर्यावरण सुधार हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये उपरोक्त शासनादेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- भवन निर्माण अनुज्ञा के अन्तर्गत निर्माण स्थल के लिए निर्दिष्ट किये गये रेनवाटर हार्वेस्टिंग के अनुसार व्यवस्था/प्राविधान न किया जाना निर्माण अनुज्ञा एवं तदनुसार 30प्र0 नगर एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन है। अतः तत्क्रम में अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाये।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली संबंधी नीतियों के अनुपालन में जमीनी स्तर पर कोई शिथिलता शासन के संज्ञान में आती है, तो संबंधित अधिकारी (प्राधिकरण क्षेत्र में, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में, अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्र में, आवास आयुक्त एवं विनियमित क्षेत्र में, नियत प्राधिकारी) का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी।

~~भवदीय,~~

सदाकान्त
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, आवास बन्धु, 30प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए, शासनादेश की प्रतियां समस्त संबंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 को प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिवजनम चौधरी)

विशेष सचिव।